अध्याय- 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हों तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेयर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अगस्त 2012 तक ₹ 496.34 करोड़ की राशि के पाँच सौ पच्चीस उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 417.84 करोड़ धनराशि के 385 उपयोगिता प्रमाण पत्र (73.33 *प्रतिशत*) तीन वर्षों तक की अवधि से लम्बित थे तथा तीन वर्षों से ऊपर के ₹ 78.50 करोड़ धनराशि के 140 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब **तालिका 3.1** में सारांशित हैः

तालिका-3.1

अगस्त 2012 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	139	131.19
2	1-3	246	286.65
3	3-5	140	78.50
योग		**525**	**496.34**

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इस प्रकार, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के निःस्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विहित समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षार्थ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करें। सितंबर 2012 तक, तीन ऐसे उपक्रमों में से दो ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2003-04 व उसके बाद से बकाये थे। *प्रोफार्मा लेखे* तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट**-3.1 में दी गयी है।

लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2012 तक ₹ 3.93 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के 17 प्रकरण पाए जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट-3.3** में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2

31 मार्च 2012 के अनुसार दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
सीमा वर्षों में	**मामलों की संख्या**	**सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)**	**मामलों की प्रकृति/विशिष्टियाँ**	**मामलों की संख्या**	**सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)**
0 - 5	17	392.79	चोरी	02	4.13
5 - 10	---	---			
10 - 15	---	---	दुर्विनियोग/माल की हानि	15	388.66
15 - 20	---	---			
20 - 25	---	---	**योग**	**17**	**392.79**
25 से अधिक	---	---	वर्ष के दौरान अपलिखित हानियों के मामले	--	--
योग	**17**	**392.79**	**कुल लम्बित मामले**	**17**	**392.79**

इनमें से ₹ 50.55 लाख की चोरी, दुर्विनियोग/हानि के चार मामले अन्तिम कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग के पास अनिर्णित पड़े थे जबकि ₹ 301.49 लाख की पर्याप्त राशि के छः मामलों को समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग तथा वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व चोरी के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

2011-12 के दौरान 50 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत ₹ 3,438.94 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' - जो कुल राजस्व व्यय, संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन अभिलिखित - का 26.50 *प्रतिशत* अंश बनता है - के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 37 मुख्य लेखा शीर्षों (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 1,266.23 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य प्राप्तियाँ', जो कुल राजस्व प्राप्तियों - संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन

अभिलिखित- के 9.25 *प्रतिशत* अंश बनता है, के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। पाँच मुख्य लेखा शीर्षों में व्यय राशि प्रचुर मात्रा में 'अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई थी तथा 15 मुख्य लेखा शीर्षों में प्राप्तियों की प्रचुर रकम 'अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन बुक की गई थी। वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, तथापि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकार लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है।

लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष

सरकार द्‌वारा सूत्रबद्ध विभिन्न नियम, कार्यविधियाँ तथा निदेशनों के अनुपालन के संबन्ध में परिकल्पना के अनुसार सरकारी विभागों के अन्दर आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कार्यरत नहीं है। विभागीय तौर पर प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों द्‌वारा वार्षिक कच्चे लेखाओं के उपक्रम की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन खामियों में तथा विभागीय प्राधिकारियों द्‌वारा ए सी बिलों पर आहरित भारी रकम के असमायोजन में, वित्तीय प्रतिवेदन कार्य परिशुद्ध तथा विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों के विरूद्ध प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब सूचित करता है कि सरकार के अनुश्रवण तंत्र के सशक्तीकरण आवश्यक है जैसे 525 की संख्या में 496.34 करोड़ की यू सी जो प्रस्तुतीकरण हेतु नियत थे-प्रधान महालेकार (लेखा व हकदारी) को, लेखाओं के पुन:समाधान तथा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु, प्रस्तुत नहीं किए गए।

हानि/दुर्विनियोग व चोरी के प्रकरणों में विभागीय जाँचों में दोषियों को दण्डित करने हेतु तेजी लानी चाहिए। भविष्य में इसप्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों में मजबूती लानी चाहिए।

3.6 संस्तुतियाँ

सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विचार कर सकती है कि :

- अनुदानित संस्थाओं को विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत हों।
- सभी गबन व दुर्विनियोजन प्रकरणों संबंधी विभागीय जाँच में गति लाएँ तथा इन प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों का सशक्तिकरण करें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन मुख्य योजनाओं के प्राप्तियों तथा व्यय को सम्मिलित करने के स्थान पर वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में शुद्धता लाएँ।

देहरादून **(अश्विनी अत्रि)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**